फाइन नं0-71-1002(099)/15/2021

3/2022/I/128180/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2022**

विषयः- जिम्स, ग्रेटर नोएडा, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ में आक्सीजन जनरेटर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवश्यक सिविल कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/709, दिनॉक 21.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिम्स, ग्रेटर नोएडा, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ में आक्सीजन जनरेटर प्लाण्ट की स्थापना के सिविल कार्यो हेतु प्रति कालेज/संस्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्राविधानित नियमित बजट के निर्माण मद से धनराशि रू0 18.24 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिम्स, ग्रेटर नोएडा, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ में आक्सीजन जनरेटर प्लाण्ट की स्थापना के सिविल कार्यो हेतु श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	सिविल कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	जिम्स, ग्रेटर नोएडा	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	18.24
2	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	18.24
3	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	18.24

(1) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत निर्गत की जा रही है अतः संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक तथा कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि कार्य निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

(6) महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) आक्सीजन जनरेटर प्लान्ट रूम के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत के अंतर्गत जी0एस0टी0, सेन्टेज चार्ज तथा लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु पृथक से धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत लागत में ही कार्य पूर्ण कराया जायेगा। स्वीकृत लागत का अतिक्रमण वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(11) परियोजना का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

3- उक्त परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संबंधित राजकीय मेडिकल कालेजों के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, जिम्स, ग्रेटर नोएडा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेरठ।
4. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग- 4/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in